राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक:–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/72213-45 जयपुर दिनांक 30/11/2015

समस्त जिला कलक्टर

....

विषयः– जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबध में विभाग द्वारा जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश दिनांक 09.09.2015 एवं 20.10.2015 के अनुक्रम में पटवारी एवं अन्य कार्मिको द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में विभाग के संख्यक पत्रांक एफ11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि 15/54159 जयपुर दिनांक 09.09.15 एवं एफ 11/SCST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि 15/63606–726 जयपुर दिनांक 20.10.15 द्वारा नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये थे जिसमें दिनांक 09.09.2015 के दिशा निर्देशों के बिन्दू 3 (C)(1) में यह वर्णित किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम अधिकारी अपने अधिनस्थ कार्मिक यथा पटवारी/ गिरदावर आदि से आवेदक के पैतृक/ स्वयं के राजस्व रिकार्ड आदि में उसके जाति का परीक्षण कराया जायेगा।

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न तहसीलों में रिक्त चल रहें पटवारियों के पद पर तत्काल नवीन कार्मिकों का पदस्थापन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है एवं ऐसी परिस्थिति में जाति प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्व हो रहा है तथा कठिनाईया भी आ रही है।

अतः संबधित समस्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि जिन तहसीलो में पटवारी का पद रिक्त चल रहा है एवं जाति प्रमाण पत्रों की जाच रिपोर्ट / परीक्षण संबधित उपखण्ड अधिकारी को समय पर प्रस्तुत नही करी जा रही हों तो ऐसी परिस्थिति में संबधित तहसील के पटवारी अथवा गिरदावर अथवा नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड की जॉच/परीक्षण रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, उसके पश्चात संबधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(सुदर्शन सेठी) 30.11.2015
प्रमुख शासन सचिव